सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 08, शुक्रवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 29, 2023 *Pausa 08 Friday , Saka 1945- December 29 , 2023*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 8, 2023

संख्या रा. वि. वि. आयोग/सचिव/विनियम 153 :-विद्युत अधिनियम धारा 2003 (2003 का 36वां) की धारा 61 एवं धारा 62 सपठित धारा 86 और धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, रावि विआ (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2020 (इसके पश्चात् यथा 'मूल विनियम' के निर्दिष्ट) में संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः

1. लघु शीर्षक, प्रारम्भण तथा प्रयोज्यता की सीमाः

(1) ये विनियम, ''राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्ते) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023" कहलायेंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन के तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 1 में संशोधनः

विद्यमान उप-विनियम 1.2 के मुख्य प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''1.2 ये विनियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये विस्तारित होंगे। ये विनियम 1 अप्रैल, 2020 और उसके आगे 31 मार्च, 2026 तक इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों में टैरिफ निर्धारण हेतु प्रयोज्य होंगे।''

3. मूल विनियम के विनियम 3 में संशोधनः

विद्यमान उप-विनियम 3.2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''3.2 इन विनियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, आयोग टैरिफ को अपनायेगा, यदि केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत यथाविचारित

जारी किये गये दिषा-निर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रकार की टैरिफ का निर्धारण किया गया है अथवा जहां केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये है, तो ऐसे संयंत्रों की टैरिफ को अपनाया जायेगा जहां आयोग द्वारा अनुमोदित बोली दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ का निर्धारण किया गया है।''

4. मूल विनियम के विनियम 5 में संशोधनः

विद्यमान उप-विनियम 5.1 के मुख्य प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''5.1 इन विनियमों के अंतर्गत नियंत्रण अवधि 1 अप्रैल, 2020 से आरम्भ होकर 31 मार्च, 2026 तक छः (6) वित्तीय वर्षों की होगी।''

5. मूल विनियम के विनियम 7 में संशोधनः

उप-विनियम 7.2 के विद्यमान परन्तुक के नीचे निम्नानुसार नया परन्तुक जोड़ा जायेगाः

''बशर्ते यह भी कि ऐसी प्रौद्योगिकी के विद्युत संयंत्रों से विद्युत के क्रय के लिये जहां केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं, बायोमास विद्युत परियोजनाओं, बायोमास गैसीफायर-आधारित विद्युत परियोजनाओं एवं बायोगैस विद्युत परियोजनाओं सहित उन संयंत्रों को जो पहले से ही प्रारम्भ (कमीशन) हो गये है या जिनके लिये विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पहले आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, को छोड़कर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के विनियम 7.2 के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन करेगा।''

6. मूल विनियम के विनियम 8 में संशोधनः

उप-विनियम 8.1 के विद्यमान परन्तुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''बशर्ते कि जातिगत टैरिफ उन परियोजनाओं के लिये जो पहले से ही प्रारम्भ (कमीशन) हो गयी है या जिनके लिये विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पहले आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसी प्रकार की ऐसी अक्षय उर्जा परियोजनाओं के लिये लागू होगी और उपरोक्त विनियम 6 में यथानिर्दिष्ट टैरिफ अवधि के लिये वैध रहेगी।''

7. मूल विनियम के विनियम 43 में संशोधनः

उप-विनियम 43.1 के विद्यमान परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जायेगा और उप-विनियम 43.1 के विद्यमान परन्तुक के नीचे नया परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जायेगाः

''बशर्ते कि उपरोक्तानुसार संगणित ईंधन उन बायोमास विद्युत संयंत्रों जो पहले से ही प्रारम्भ (कमीशन) हो गये है या जिनके लिये विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पहले आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा पूर्व की नियंत्रणावधि विव 2009-15 एवं 2015-20 के दौरान प्रारम्भ (कमीशन) किये गये संयंत्रों के लिये भी प्रयोज्य रहेगी।

बशर्ते यह भी कि प्रतिस्पर्धी बोली के अधीन प्रारम्भ (कमीशन) होने वाले बायोमास विद्युत संयंत्रों के लिये, ईंधन की कीमत उपरोक्त विनियम 7.2 के अनुसार जारी किये गये बोली दस्तावेजों द्वारा शासित होगी।''

8. मूल विनियम के विनियम 44 में संशोधनः

उप-विनियम 44.2 के विद्यमान परन्तुक के नीचे निम्नानुसार नया द्वितीय परन्तुक जोड़ा जायेगाः

''बशर्ते यह भी कि सौर उर्जा के उपयोग की अनुमति केवल उन्हीं परियोजनाओं में दी जायेगी जहां सौर उर्जा संयंत्र 31.03.2026 को या उससे पहले प्रारम्भ (कमीशन) किया गया हैं।''

9. मूल विनियम के विनियम 88 में संशोधनः

(1) उप-विनियम 88.1 के विद्यमान परन्तुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''बशर्ते कि वर्ष 2023-24 से आगे की अवधि के लिये अर्थात् वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिये, वर्ष 2023-24 में यथा प्रयोज्य टैरिफ लागू रहेगी, यदि विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) की अवधि के अधीन इन संयंत्रों से उर्जा की आपूर्ति की जा रही है। विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) की अवधि से आगे की अवधि के लिये, विस्तारित अवधि के दौरान अक्षय परियोजनाओं के लिये विनियम 10 के अनुसार टैरिफ लागू होगी।''

(2) उप-विनियम 88.2 के विद्यमान परन्तुक को निम्नलिखित परन्तुक(कों) से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''बशर्ते कि वर्ष 2023-24 से आगे की अवधि के लिये अर्थात् वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिये, वर्ष 2023-24 में यथा प्रयोज्य टैरिफ लागू रहेगी, यदि विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) की अवधि के अधीन इन संयंत्रों से उर्जा की आपूर्ति की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त, इन विनियमों के विनियम 43 के निबन्धनों के अनुसार संबंधित प्रौद्योगिकी के लिये वित्त वर्ष 2023-24 को आधार वर्ष मानते हुये

रूपये/किवाघं में गत वर्ष के परिवर्तनीय प्रभारों की तुलना में परिवर्तनीय प्रभारों में वार्षिक वृद्धि या कमी, यथास्थिति, के लिये भी अनुमति दी जायेगी।

बशर्ते यह भी कि विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) की अवधि से आगे की अवधि के लिये, विस्तारित अवधि के दौरान टैरिफ विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) की अवधि के अंतिम वर्ष के लिये लागू टैरिफ का 85 प्रतिशत के समतुल्य अक्षय परियोजनाओं के लिये लागू होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, इन विनियमों के विनियम 43 के निबन्धनों के अनुसार संबंधित प्रौद्योगिकी के लिये वित्त वर्ष 2023-24 को आधार वर्ष मानते हुये रूपये/किवाघं में गत वर्ष के परिवर्तनीय प्रभारों की तुलना में परिवर्तनीय प्रभारों में वार्षिक वृद्धि या कमी, यथास्थिति, के लिये भी अनुमति दी जायेगी।''

(3) उप-विनियम 88.3 के विद्यमान परन्तुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

''बशर्ते कि वर्ष 2023-24 से आगे की अवधि के लिये अर्थात् वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिये, वर्ष 2023-24 में यथा प्रयोज्य टैरिफ लागू रहेगी, यदि विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) की अवधि के अधीन इन संयंत्रों से उर्जा की आपूर्ति की जा रही है। विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) की अवधि से आगे की अवधि के लिये, विस्तारित अवधि के दौरान अक्षय परियोजनाओं के लिये विनियम 10 के अनुसार टैरिफ लागू होगी।''

10. मूल विनियम के विनियम 93 में संशोधनः

विद्यमान उप-विनियम 93.6 के नीचे निम्नानुसार नया विनियम 93.6अ जोड़ा जायेगाः

''93.6अ बैंकिंग के उपरोक्त प्रावधान 31.03.2030 तक सभी विद्यमान परियोजनाओं के साथ-साथ 31.03.2026 तक प्रारम्भ (कमीशन) होने वाली परियोजनाओं पर भी लागू होंगे।''

आयोग की आज्ञा से,

सचिव।

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Notification

Jaipur, December 8, 2023

No. RERC/Secy./Reg./153 .-In exercise of the power conferred under the Sections 61 and Section 62 read with Section 86 and Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the RERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff from Renewable Energy Sources) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the 'Principal Regulations') namely:

1. Short title, commencement and extent of application:

(1) These Regulations may be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) (Second Amendment) Regulations, 2023.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Regulation 1 of the principal Regulations:

The main provision of the existing sub-regulation 1.2 shall be substituted with the following:

"1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Rajasthan. These Regulations shall be applicable for determination of tariff in cases covered under these Regulations from April 1, 2020, and onwards up to March 31, 2026."

3. Amendment in Regulation 3 of the principal Regulations:

The existing sub-regulation 3.2 shall be substituted with the following:

"3.2 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff, if such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government, as envisaged under Section 63 of the Act or where no such guidelines are issued by the Central Government, the tariff of such plants shall be adopted as has been determined through transparent bidding process in accordance with the bidding guidelines approved by the Commission."

4. Amendment in Regulation 5 of the principal Regulations:

The main provision of the existing sub-regulation 5.1 shall be substituted with the following:

"5.1 The Control Period under these Regulations shall be of six (6) financial years starting from April 1, 2020, till March 31, 2026:"

5. Amendment in Regulation 7 of the principal Regulations:

The following new proviso shall be added below the existing provisos to sub-regulation 7.2 as under:

"Provided also that for procuring power from power plants of such technology where the competitive bidding guidelines have not been issued by the Central Government, including the biomass power projects, biomass gasifier-based power projects and biogas power projects except for the plants which are already commissioned or for which PPAs have been approved by the Commission before the date of notification of these Regulations, the distribution licensee shall carry out the competitive bidding process as per regulation 7.2 of these Regulations:

6. Amendment in Regulation 8 of the principal Regulations:

The existing proviso to sub-regulation 8.1 shall be substituted with the following:

"Provided that the generic tariff for the projects which are already commissioned or for which the PPAs have been approved by the Commission before the date of notification of these Regulations shall be applicable for such RE Projects of same type and shall remain valid for the tariff period as specified in regulation 6 above."

7. Amendment in Regulation 43 of the principal Regulations:

The existing proviso to sub-regulation 43.1 shall be substituted and a new proviso shall be added below the existing provision of sub-regulation 43.1 as under:

"Provided that the fuel cost arrived at as above shall be applicable to the Biomass power plants which are already commissioned or for which the PPAs have been approved by the Commission before the date of notification of these Regulations and also for the plants commissioned during the earlier Control Periods FY 2009-15 and FY 2015-20.

Provided further that for the Biomass power plants to be commissioned under the competitive bidding, the fuel price shall be governed by the bidding documents issued in accordance with regulation 7.2 above."

8. Amendment in Regulation 44 of the principal Regulations:

A new second proviso shall be added below the existing proviso to sub-regulation 44.2 as under:

"Provided further that usage of solar power shall be allowed only in those projects, where solar power projects are commissioned on or before 31.03.2026."

9. Amendment in Regulation 88 of the principal Regulations:

(1) The existing proviso to sub-regulation 88.1 shall be substituted with the following:

"Provided that for the period beyond 2023-24, i.e., for the year 2024-25 & 2025-26, the tariff as applicable in 2023-24 shall remain applicable, if the energy is being supplied from these plants under the PPA period. For the period beyond the PPA period, the Tariff for Renewable Projects during the extended period as per Regulation 10 shall be applicable."

(2) The existing proviso to sub-regulation 88.2 shall be substituted with the following proviso(s):

"Provided that for the period beyond 2023-24, i.e., for the year 2024-25 & 2025-26, the tariff as applicable in 2023-24 shall remain applicable, if the energy is being supplied from these plants under the PPA period. In addition to above, an annual increase or decrease in variable charges, as the case may be, in Rs./kWh over the variable charges of the previous year keeping FY 2023-24 as the base year for the respective technology in terms of regulation 43 of these Regulations shall also be allowed.

Provided further that for the period beyond the PPA period, the tariff during the extended period shall be equivalent to the 85 % of the tariff applicable for the last year tariff of the PPA duration shall be applicable for the Renewable Projects. In addition to above, an annual increase or decrease in variable charges, as the case may be, in Rs./kWh over the variable charges of the previous year keeping FY 2023-24 as the base year for the respective technology in terms of regulation 43 of these Regulations shall also be allowed."

(3) The existing proviso to sub-regulation 88.3 shall be substituted with the following:

"Provided that for the period beyond 2023-24, i.e., for the year 2024-25 & 2025-26, the tariff as applicable in 2023-24 shall remain applicable, if the energy is being supplied from these plants under the PPA period. For the period beyond the PPA period, the Tariff for Renewable Projects during the extended period as per Regulation 10 shall be applicable."

10. Amendment in Regulation 93 of the principal Regulations:

A new regulation 93.6 A shall be added below the existing sub-regulation 93.6 as under:

"93.6A The above provisions of the banking shall be applicable till 31.03.2030 to all existing projects as well as the projects getting commissioned upto 31.03.2026."

By Order of the Commission,

Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।